



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 5000/-रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 481/2016 धारा-18/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसीएक्ट/गैंग0एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. मोनू पुत्र कल्लू निवासी गल्हिया थाना राठ जनपद हमीरपुर को 01 वर्ष के कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी प्रवीण कुमार  
भदौरिया



विवेचक-  
उ0नि0 पुरुषोत्तम  
नारायण तिवारी



पैरोकार-थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव